बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.........................

आदेश संख्या–08/आ०–05–27/2025....................../श्री गुलाम सरवर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, बक्सर–सम्प्रति–निलंबित को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 27.08.2025 को रिश्वत लेते रंगे–हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 891 दिनांक 10.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(2) के तहत श्री सरवर को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 27.08.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. निगरानी थाना कांड संख्या 67/2025 में दिनांक 01.12.2025 को अपराह्न में जमानत पर रिहा हुए श्री गुलाम सरवर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, बक्सर–सम्प्रति–निलंबित का योगदान संबंधी आवेदन दिनांक 02.12.2025 को वितरण शाखा में प्राप्त कराया गया। उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1279 दिनांक 04.12.2025 द्वारा श्री सरवर को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय में सदेह उपस्थित होकर योगदान करने हेतु निदेशित किया गया। तदालोक में श्री सरवर द्वारा दिनांक 08.12.2025 को सदेह उपस्थित होकर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में योगदान किया गया।

3. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1300 दिनांक 12.12.2025 द्वारा श्री सरवर के द्वारा दिनांक 08.12.2025 को दिये गए योगदान को स्वीकृत करते हुए श्री सरवर को दिनांक 08.12.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii) के तहत आदेश निर्गत की तिथि 12.12.2025 से उन्हें पुनः निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री सरवर का मुख्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० चम्पारण का कार्यालय, निर्धारित किया गया।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 507 दिनांक 07.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1336 दिनांक 24.12.2025 द्वारा श्री सरवर के विरूद्ध समेकित आरोप–पत्र गठित करते हुए श्री सरवर से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री सरवर द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री सरवर के विरूद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सरवर द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. अतः आरोप की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री गुलाम सरवर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, बक्सर–सम्प्रति–निलंबित को अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

6. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०), भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का विधिवत् संचालन कर विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन 45 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह/०–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–08/आ०–05–27/2025......496...... पटना, दिनांक 15/04/2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना एवं तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, भोजपुर को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर एवं प० चम्पारण/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री गुलाम सरवर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, बक्सर–सम्प्रति–निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, प० चम्पारण को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

15/4/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।